D.U. II Sem 18-20 Page No-1

Second Generation Reforms: The Reforms are: I. Eco.

(1) उद्योग, (2) संरचना (infrastructure) (3) व्यापार (Trade policy) (4) विदेशी सीधा निवेश (Foreign Direct investment) (5) वित्तीय क्षेत्र (Financial sector) तथा अन्य। Second Generation Reforms 1997-2003 के अवधि के प्रारंभ हुआ।

(1) कोयला और भूरा कोयला, पेट्रोलियम और उसके डिस्टीलेशन उत्पाद तथा औषधियों को लाईसेंस मुक्त करना (2) चीनी को लाईसेंस मुक्त करना (3) कोयला और भूरा कोयला तथा खनीज तेलों को आरक्षण मुक्त करना। (4) कंपनियों को अपने शेयर वापस खरीदने की इजाजत होगी। (5) जुलाई 1998 में सूचना तकनीक और सॉफ्टवेयर विकास पर एक राष्ट्रीय कृति बल ने 108 बिंदु वाली कार्य योजना प्रस्तुत की। जिसकी अधिक धाराओं को स्वीकार कर लिया गया तथा सम्बन्धित विभागों को यह सुझाव लागू करने के आदेश दिए गए। (6) राज्य सभा द्वारा पेटेन्ट बिल स्वीकार कर लिया गया तथा लाग हो उसे एक अध्यादेश द्वारा लागू कर दिया गया। (7) कुछ वस्तुएं जैसे कृषि के औजार तथा उपकरण को लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची से निकाल दिया गया।

(2) **Infrastructure Reforms:** (1) भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 और विद्युत पूर्ति अधिनियम 1948 का इस प्रकार संशोधन किया गया कि विद्युत संचालन में निजी निवेश उपलब्ध हो सके। (2) विद्युत नियमन आयोग (Electricity Regulatory Commissions) अध्यादेश के अधिनियम बनने के पश्चात केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोग की स्थापना की गई तथा राज्यों के अपने स्वतंत्र नियमन आयोग स्थापित करने की भी इजाजत दी गई। (3) आई.आर.डी.ए. (बीमा तथा नियमन) अधिनियम 1996 एक अध्यादेश द्वारा घोषित किया गया। (4) इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लाईसेंस धारियों की नीति की घोषणा की गई – पहले पांच वर्षों के लिए लाईसेंस फीस नहीं होगी तथा पांच वर्षों के पश्चात एक रुपये की नाम मात्र फीस ली जायेगी। (5) एक राष्ट्रीय समन्वित राजमार्ग परियोजना आरंभ की गई जो स्वर्ण चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को पूर्व-पश्चिम (सिलचर से सौराष्ट्र) तथा उत्तर-दक्षिण (कश्मीर से कन्याकुमारी) गलियारों को जोड़ेगी। (6) एक नई-दूरसंचार नीति।

(3) व्यापार नीति (Reforms in Trade policy): (1) अप्रैल 1998 की एग्जिम नीति ने आयात की 340 वस्तुओं को प्रतिबंधित सूची से उन्हें OGL सूची से लाइसेंस मुक्त कर दिया (2) भारत ने सार्क (SAARC) देशों से आयात होने वाली लगभग 2500 वस्तुओं से सभी मात्रात्मक प्रतिबंध अपने आप। अगस्त 1998 से समाप्त कर दिया। (3) भारत एवं श्रीलंका के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता 28 दिसम्बर 1998 को सम्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2007 तक दोनों ओर से बहुत सी वस्तुओं पर शून्य आयात शुल्क लागू किया गया। (4) निर्यातकर्ताओं की शुल्क वापसी में देरी अथवा शुल्क वापसी में दो महीनों से अधिक समय लगने प्रकरण में राशि पर ब्याज का भुगतान। (5) पूंजीगत वस्तुओं पर मूल्य शुल्क योजना से निर्यात प्रोत्साहन को कुछ विशेष वस्तुएं बायो-तकनीकी एवं अनुसंधान इंजीनियरिंग उद्योग तक विस्तृत कर दिया गया। (6) EOU/EPZ के लिए इस वर्षों के लिए का अवकाश, निर्यात के लिए Technology संबंधी व्यापार की आशा।

(4) **Reforms in F.D.I.:** Foreign Direct Investment: बिजली के उत्पादन, संचारण एवं वितरण की परियोजनाएं और सड़कों, राजमार्गों, यातायात सुरंगों यातायात पुलों, पोटों और बंदरगाहों सम्बन्धित परियोजनाओं पर स्वचालित मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत तक विदेशी सीधे निवेश की इजाजत दी गई। (1) गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के अधीन विदेशी साझीदारी को इजाजत दी गई – "क्रेडिट कार्डों का व्यापार" तथा मुद्रा परिवर्तन का व्यापार" सम्मिलित हैं। (2) अनुपवासीन वित्तीय संस्थाओं को इजाजत दी गई है कि एन आर आई सम्पत्ति की बनी को सीना तक भारतों का अंशदान कर सके यह अंशदान निजी लोगों के बैंकों की 40 प्रतिशत क्षमता इजाजत सीमा के भीतर होगा (3) सैटेलाइट सेवाओं द्वारा Global mobile, personal communication उपलब्ध करना जो कि रुपयों से लाईसेंस होने की शर्त में 49 प्रतिशत इक्विटी तक F.D.I. की अनुमति।

(4) सूचीबद्धता रहित कम्पनियों को कुछ शर्तों पर Euro Issues आरंभ

Kumari Manju
HOD Deptt Eco

(4) पूर्ण्वीवस्था-रहित कंपनियों को कुछ शर्तों पर न्यूनतम इक्यू आरंभ करने की इजाजत दिया है।
(5) भारतीय कंपनियों को बैंक अथवा राष्ट्रीय वोर्ड जारी करने अथवा उन्हें व्यापक द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने व्यापारिक प्रतिभूतियों की इजाजत दी गई।

~~(5) Reforms in Financial sector! केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सिक्योरिटियों की आवश्यकता, सरकार द्वारा गारंटी दिए गए ऋण और मानक कंपनियों की व्यवस्था के लिए सामान्य व्यवस्था के लिए बैंकों के तई संगत नियमों को कठोर कर दिया गया।~~
~~(2) बैंकों के लिए न्यूनतम पूँजी के जोखिम भार संपत्ति अनुपात में बढ़ोतरी।~~
~~(3) बैंकों के लिए न्यूनतम पूँजी से जोखिम भार~~

(4) Foreign Institutional Investor (विदेशी संस्थागत निवेशक)! विदेशी संस्थागत निवेशकों को खजाना बिल और सरकारी ऋणपत्र आरंभिक एवं द्वितीयक बाजार में केवल की इजाजत। (2) विदेशी संस्थागत निवेशकों के बीच भारतीय शेयरों वायदा बिक्री व्यवहार को अब बाद में भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। (3) निर्यातकर्ताओं के लिए योजना के अधीन बाहरी व्यापारिक ऋणों के लिए योग्यता के अधीन बाहरी व्यापारिक ऋणों के योग्यता में बढ़ोतरी।

(5) Reforms in Financial Sector (वित्तीय क्षेत्र में सुधार)! Second generation Reforms के अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार किया गया जो निम्न है: (1) केन्द्र एवं राज्य सरकारों की सिक्योरिटी के व्यवस्था की आवश्यकता सरकार द्वारा गारंटी दिए गए ऋण और मानक कंपनियों के लिए सामान्य व्यवस्था के लिए बैंकों के तई संगत नियमों को कठोर कर दिया गया। (2) बैंकों के लिए न्यूनतम पूँजी से जोखिम भार संपत्ति अनुपात में बढ़ोतरी। (3) उन कंपनियों की संस्थागत पूँजी ... आवश्यक रूप के सामग्री रहित रूप में व्यापार किया जाए गया जिनके शेयरों का ... (4) संरचनात्मक कंपनियों द्वारा Public issues के लिए शर्तें आसान कर दी गयी। (5) 26 स्वतंत्र बीमा नियंत्रण प्राधिकरण के लिए अधिनियम, निजी कंपनियों के लिए बीमा एवं Pension Fund को खोलने संबंधी अधिनियम पेश करना 26 प्रतिशत विदेशी हिस्सा तथा 14 प्रतिशत NRI और F.I.I सम्पत्ति की इजाजत का प्रस्ताव किया गया। (6) सिक्योरिटीज कन्ट्रैक्ट्स (Security Contracts Act) एक्ट 1956 के संशोधन के लिए बिल पेश किया गया ताकि "सिक्योरिटीज" की परिभाषा को विस्तृत किया जा सके। (7) FERA को परिवर्तन करने के लिए विदेशी विनिमय प्रबंधन के लिए नया बिल संसद में पेश किया गया।

(6) Reforms in Taxation System: Second generation Reforms के अन्तर्गत कर प्रणाली में भी सुधार लाया गया जो निम्न है:
(1) 1.10.1998 को अथवा इसके बाद दिए गए उपहारों को वित्तीय अधिनियम 1998 द्वारा उपहार कर से मुक्त कर दिया गया। (2) मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उद्यमों में तथा सॉफ्टवेयर ~~कंपनी~~ तकनीकी पार्कों में इकाइयों के लिए कर-अवकाश को पाँच वर्षों से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। (3) आन्तरिक जलमार्गों, आन्तरिक बन्दरगाहों, इंडोर-पेकिंग, ट्रैकिंग और इ.डी.आई. नेटवर्क तथा ब्रॉडबैंड सेटेलाइट सेवाओं पर भी कर-अवकाश के लाभ बढ़ा दिए गए।

(7) Reforms in Fiscal Reforms: राजकोषीय सुधार निम्न प्रकार किए गए। (1) बजट के विभिन्न उपाय आरंभ किए गए जिसमें कुछ विभागों के आकार-

Scanned with CamScanner

को छोटा करना सम्मिलित है (2) वर्ष 2000-01 में उत्पाद शुल्क संरचना को 16 प्रतिशत CENVAT के एक मात्रा दर द्वारा तर्कसंगत किया गया। वर्ष 2001-02 के बजट के पहले तीन विशेष दरों 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत को 16 प्रतिशत के मात्र एक दर में परिवर्तित कर दिया गया। (3) सीमा शुल्क पर अधिभार को हटाकर सीमा शुल्क के अधिकतम स्तर को 38.5 प्रतिशत घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया। (4) कार्यों टैक्नोलॉजी को उपलब्ध कराने गए शोध एवं विकास पर व्यय का 150 प्रतिशत भारी कटौती दी गई। (5) भारत में राजकोषीय सुधारों के प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन कोष की स्थापना की गई।

External sector (बाह्य क्षेत्र): Second generation Reforms

External sector में भी उदार - पहला (1) व्यापार के क्षेत्र में — (1) भुगतान संतुलन (BOP) के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध को और 715 वस्तुओं पर प्रतिबंध हटा लिया गया पर समाप्त किया गया। (2) आयात पर अधिनियम के सेक्शन 80-एच. एच. सी के अधीन निर्यातों को दिए गए कर लाभों की वापसी Back loading हुई। (3) विशेष उत्पादों तथा भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर कृषि निर्यात के संवर्धन के लिए कृषि-आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना। (4) निर्यातों की गति को तीव्र करने के लिए बाजार पहुंच पहलकदमी (Market Access Initiative) योजना लागू की गई। (5) निर्यात क्रेडिट पर P.L.R पर आधारित ब्याज दर के रूप में ब्याज दर का संकेत कर के निर्यात क्रेडिट पर ब्याज दरों को तर्कसंगत बना दिया गया।

(2) पूंजी खाता: निजी बैंकिंग क्षेत्रों में 49 प्रतिशत FDI की सभी क्षेत्रों में इजाजत दी गई। (2) 100 प्रतिशत FDI की इजाजत वाणिज्य परिवहन, सेवाओं, तेल शोधन, होटल एवं पर्यटन क्षेत्र औषध एवं Farmasticuls, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें भू सम्पत्ति भी सम्मिलित है। के लिए दी गई। (3) Non Banking financial Company को 100 प्रतिशत तक विदेशी भाग स्वामित्व कंपनियों में इजाजत दी गई। (4) विदेशी निवेशकों का 100 प्रतिशत संचालित सहायक यूनिट स्थापित करने की इजाजत दी गई जिसमें न्यूनतम 25 प्रतिशत भाग विनिवेशीत करने की शर्त नहीं होगी। (5) संयुक्त उद्यम गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां जिनके 75 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत कम विदेशी निवेश हो। NBFC (Non Banking Financial Corporation) की अन्य गैर बैंकिंग गतिविधियों को आरंभ करने के लिए सहायक यूनिट स्थापित करने की इजाजत दी गई। (6) उपभोक्ता वस्तुओं से लाभ संतुलन शर्त वापस ली गई। (7) ऑफ-शोर वेन्चर कैपिटल कंपनियों को घरेलू उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश की इजाजत दी गई। (8) एकीकृत नगर क्षेत्र के विकास के लिए 100 प्रतिशत तक FDI की इजाजत सरकार की स्वीकृति के साथ दी गई। (9) भारतीय कंपनियों द्वारा 100 प्रतिशत तक FDI की इजाजत होगी दोनों के लिए लाइसेंस आवश्यक होगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी से खोला गया प्रत्येक उद्योग जिसमें 26 प्रतिशत (10) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे ए.डी.बी. I F C, C.D.C. DIG आदि को स्वचालित मार्ग द्वारा घरेलू कंपनियों में निवेश की इजाजत यह SEBI तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और FDI पर लागू विशेष आवश्यकताओं पर आधारित होगी।